Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 49/2021

Chanda Devi.. Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.. Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा सेवा अपील वाद सं0-68/2018 में दिनांक-10.12.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना, धमदाहा अंतर्गत ग्राम पंचायत रूपसपुर खगहा के वार्ड सं0-09 में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-296 में सेविका पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदिका एवं अन्य अभयर्थी द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। आवेदन के जॉँचोपरांत दिनांक-10.10. 2017 को पहली आम सभा को आयोजित करते हुए मेधा सूची का निर्माण किया गया। मेधा सूची के अनुसार आवेदिका चंदा देवी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में प्रथम स्थान पर स्थित थी। आम सभा के दौरान चयन समिति के सदस्यों द्वारा इनके जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति की गई। आपत्ति के निराकरण के पश्चात आवेदिका के अत्यंत पिछड़ा जाति के श्रेणी में मानते हुए इनका चयन सेविका पद पर किये जाने का सुझाव देते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया। पुनः दिनांक-18.10.2017 को दूसरी आम सभा आयोजित की गई, परन्तु चयन समिति के अध्यक्ष का किसी अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण आम सभा स्थगित कर दी गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निदेशानुसार दिनांक-29.12.2017 को विधिवत आम सभा आयोजित करते हुए आवेदिका का चयन कर लिया गया। इनके चयन के पश्चात विपक्षी सं0-05, गुडडी देवी द्वारा आपत्ति आवेदन समर्पित किया गया। उक्त आपत्ति आवेदन पर सुनवाई करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आवेदिका चंदा देवी के आवेदन को रद्द कर	

		दिया गया तथा विपक्षी सं0–05 गुडडी देवी को सेविका पद हेतु चयन क्रमशः	
	लगातार 18.04.2023	पत्र निर्गत करने का आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा को दिया गया। आवेदिका द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–896, दिनांक–27.06.2018 द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर विद्वान जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा आवेदिका के द्वारा समर्पित तथ्यों पर बिना तार्किक रूप से विचार किये हुए इनके विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि के दृष्टि से पोषणीय नहीं है। आवेदिका उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका पद हेतु एक मात्र योग्य अभ्यर्थी है, जो मार्गदर्शिका में निरूपित प्रावधानों के सभी अहर्त्ताओं को पूर्ण करती है। उक्त केन्द्र पर दो आम सभा के स्थगित होने के उपरांत तीसरी आम सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निदेशानुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें आवेदिका चंदा देवी का चयन सेविका पद पर सभी विहित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया गया। संपूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की गई, जिसके अवलोकन से चयन प्रक्रिया की वैधता की पुष्टि की जा सकती है। इस प्रकार निम्न न्यायालय आदेश निराधार प्रतीत होता है। इनके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि अंचल अधिकारी, धमदाहा द्वारा धानुक जाति के स्थान पर भूलवश कुर्मी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था, जिसे बाद में अंचल अधिकारी धमदाहा द्वारा सुधार कर धानुक जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते है। इस प्रकार आवेदिका द्वारा तीसरी आम सभा में चयन समिति के समक्ष शुद्धित जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने एवं मेधा क्रम में प्रथम स्थान पर रहने के कारण ही इनका सेविका पद पर चयन किया गया था। इनके द्वारा हस्तलिखित आय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था। फिर भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत कर सेविका पद पर इनका चयन किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका के प्रतिकूल बिना तथ्यों पर विचार किये आदेश पारित कर दिया गया, जो	

Web Copy. Not Official.

		न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 18.04.2023	दूसरी तरफ विपक्षी सं0-05 गुडडी देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद न्यायायिक एवं तथ्यों के दृष्टिकोण से संधारणीय नहीं है। आवेदिका द्वारा दायर पुनरीक्षण वाद का आधार पूर्णतः बनावटी एवं जालसाजी के आधार पर तैयार किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। उक्त केन्द्र के लिए सेविका पद हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक-10.10.2017 को आयोजित आम में जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदिका चंदा देवी का मूल जाति प्रमाण पत्र जो कुर्मी जाति का है जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि उक्त सेविका का पद अत्यंत विछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। इस प्रकार द्वितीय वरीयता प्राप्त गुडडी देवी का चयन किया गया। आवेदिका द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष अपील वाद सं0-68/2018 दायर किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा दोनो पक्षों को सूनने के पश्चात तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर विचार करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश को सही ठहराते हुए विपक्षी गुडडी देवी के पक्ष में अपील वाद का निर्णय दिया गया। इस प्रकार आवेदिका चंदा देवी द्वारा लगाये गये सारे आरोप को आधारहीन बताते हुए पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पत्रांक-825/जि0प्रो0, दिनांक-25.06.2022 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि आवेदिका गुडडी देवी, पति-रंजय राय एवं चंदा देवी, पति-अनिल राय, ग्राम पंचायत रूपसपुर खगहा, वार्ड सं0-09 के सेविका चयन में अनियमितता से संबंधी परिवाद तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्राप्त हुआ। प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में सभी पक्षों को नाटिस निर्गत कर सुनवाई किया गया। सभी पक्षों को सुनने एवं संबंधित कागजातों के अवलोकन करने से स्पष्ट पाया गया कि चयन समिति द्वारा चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गयी। प्रथम आम सभा में जाति कुर्मी जाति के आधार पर चंदा देवी के चयन को निरस्त कर गुडडी देवी का चयन पत्र निर्गत नहीं किया गया तथा बाद में चंदा देवी द्वारा	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 18.04.2023	समर्पित धानुक जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चयन कर लिया जाना मार्गदर्शिका के विपरीत है। अतः इस कार्यालय के ज्ञापांक–896/जि0प्रो0, दिनांक–27.06.2018 द्वारा चंदा देवी के चयन को मार्गदर्शिका के विपरीत मानते हुए निरस्त किया गया है तथा क्रमांक में दूसरे स्थान की अभ्यर्थी गुडडी देवी, पति–रंजय राय का क्रमशः चयन आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–296 के सेविका पद हेतु किया गया है एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा को चयन पत्र निर्गत करने तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जॉंच करवाकर चयनित सेविका को प्रशिक्षण में भेजने संबंधी आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के विरूद्ध चंदा देवी, पति–अनिल कुमार राय, सा0–मरहा टोला, वार्ड नं0–09 रूपसपुर खगहा द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष सेवा अपील वाद सं0–68/2018 दायर किया गया है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा को मामले की जॉंच कर दो बार भिन्न–भिन्न जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के दोषी कर्मी/व्यक्ति के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने संबंधी आदेश पारित किया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका चयन की प्रक्रिया 2017 में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानानुसार शुरू की गई थी। मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता के स्तर से की जानी है तथा उनका आदेश अंतिम आदेश माना जायेगा। उक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश के प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, आयुक्त,	

Web Copy. Not Official.

		पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.